Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

धर्म सिह बनाम लक्ष्मी वगै0

अपील संख्या 142/25 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.25	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते के लिए अपने हिस्से की भूमि को सर्मपण करने का पेश किया। प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रार्थीयां/रेस्पो0 लक्ष्मी के खेत खसरा न0 374 व 375 पर पहुॅच हेतु खसरा न0 411 के पश्चिमी मेड के सहारे प्रार्थीयां व अप्रार्थीगण की खातेदारी मे रखते हुए प्रदान किया गया है। चूकि प्रार्थीयां/रेस्पो0 लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा न0 411 मे प्रार्थीयां का हिस्सा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार चार ऐयर बनता है। जिसे प्रार्थीयां /रेस्पो0 लक्ष्मी द्वारा रास्ते हेतु सर्मपण किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस खसरा नम्बरान मे से रास्ता प्रदान किया गया है उनके खातेदारो को डी एल सी राशि के जमा/भुगतान के सबंध मे किसी प्रकार का कोई आदेश नही दिया गया है ना ही भूमि के बदले भूमि के सर्मपण के संबंध मे किसी प्रकार का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश प्रतीत नही होता है। जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर तथा उभयपक्ष को सुना जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर नादौती के प्रकरण संख्या 10/25 मे पारित निर्णय दिनांक 15.9.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार कराई जाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत निहित प्रावधानो के मद्देनजर प्रकरण मे पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर नादौती के समक्ष दिनांक 3.11.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर